CASE NO 141/22

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार
Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं.NCST/SER-279/KA/1/2022-SSW

सेवा में,

श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह
सचिव
वस्त्र मंत्रालय
कमरा न. 130, उद्योग भवन, गेट न. 18
नई दिल्ली -110011
ईमेल : secy-textiles@nic.in, दूरभाष – 011-23061769

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 01.06.2022 को अपराह्न 4:30 बजे,**आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- **पदोन्नति मिलने मे विलंब के सम्बन्ध में – श्री सुरेन्द्र ऋषि मसराम,सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, मंगलौर, कर्नाटक का दिनांक 06.09.2021 का अभ्यावेदन ।**

सन्दर्भ : **आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 23.02.2022.**

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **23 मई, 2022** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी
Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES